संख्याः 39 /2020/879/आठ-1-20-01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2020**

विषयः कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेताओं व ऋणगृहीताओं के प्रकरण को विनियमित करते हुए एक अवसर प्रदान करने के लिए शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 लागू की गयी है।

2- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत क्रेडाई उ0प्र0 द्वारा दिनांक 04.05.2020 तथा 08.05.2020 को प्रत्यावेदन दिये गये थे, जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। क्रेडाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार करके संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-644/आठ-1-20-03बैठक/2013 टीसी दिनांक 18.05.2020 द्वारा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। क्रेडाई द्वारा एक प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2020 को भी दिया गया। निदेशक, आवास बन्धु के पत्र दिनांक 04.06.2020 द्वारा समिति की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है।

3- आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टीएस0 योजना) 2020 में प्रस्तावित संशोधन पर पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा आवास आयुक्त एवं 10 प्राधिकरणों क्रमशः लखनऊ/गाजियाबाद/मेरठ/गोरखपुर/प्रयागराज/आगरा/कानपुर/वाराणसी/मुरादाबाद एवं बरेली विकास प्राधिकरण का अभिमत/सुझाव मांगा गया।

4- वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में गठित समिति की संस्तुति व विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त सुझाव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश

संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07.02.2020 का प्रावधान	संशोधन
1.	**(ख) सिद्धान्तः-** (4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों जैसे- फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।	**(ख) सिद्धान्तः-** (4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
2.	**(घ) आवेदन हेतु समयावधिः-** (2) तत्पश्चात ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 03 माह की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।	**(घ) आवेदन हेतु समयावधिः-** (2) ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2020 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3.	**(च)आवेदन-पत्रों का निस्तारण** ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को हुयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।	**(च)आवेदन-पत्रों का निस्तारण** ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 02 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओ0टी0एस0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को हुयी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।
4.	**(छ)भुगतान की प्रक्रिया** **ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-** (1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त	**(छ)भुगतान की प्रक्रिया** **ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-** (1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि

	धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच ('डिस्पैच' का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।	का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच ('डिस्पैच' का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में (2/9 भाग प्रत्येक दो माह पर देय होगा) 06 माह में 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। परन्तु अन्तिम किश्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गयी समस्त किश्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ0टी0एस0 मान्य होगा अन्यथा ओ0टी0एस0 निरस्त हो जायेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
	(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा, अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।	(2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/2 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 1/2 भाग, 03 द्विमासिक किश्तों अर्थात 06 माह में 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी। प्रथम बार विलम्ब से भुगतान किए जाने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। किन्तु पुनः विलम्ब किए जाने पर ओ0टी0एस0 सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।
	(3) अन्तिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गई समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस. मान्य होगा अन्यथा ओ.टी.एस. निरस्त हो जाएगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज़ देय होगा।	(3) विलोपित
	(4) डाउन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज़ देय होगा।	(4) विलोपित

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा निर्गत वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 के अन्तर्गत जिन डिफाल्टर आवंटियों द्वारा ओ0टी0एस0 का लाभ देने हेतु आवेदन किये गये थे, उन आवंटियों को भी

उपर्युक्त संशोधन के उपरान्त मिलने वाला अतिरिक्त लाभ अनुमन्य होगा। मिलने वाले लाभ उन आवंटियों पर भी लागू होंगे जिनके प्रकरणों में ओ0टी0एस0 योजनान्तर्गत अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है।

6- शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000, दिनांक 07 फरवरी, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ.टी.एस. योजना-2020 में किये गये उपर्युक्त संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इस योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए हितबद्ध एवं जनसामान्य को उपलब्ध कराने तथा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव